

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/7918...../

जबलपुर, दिनांक 30/10/2023

दो-13-18/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को अनिवार्य सेवानिवृत्त दिनांक 10/02/2023 पर पात्रतानुसार कुल 127 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान की पात्रता आती है किन्तु अर्जित अवकाश लेखा में अर्जित अवकाश शेष न होने से अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान की पात्रता नहीं है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. B/7919...../

जबलपुर, दिनांक 30/10/2023

दो-13-18/23

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा शाखा/पेंशन शाखा, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री राम आसरे, कोर्ट अटेंडेन्ट, यूनिक कोड नं. 180013970, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, मो. नं. 6264435537 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)